मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रोजेक्ट सेल/2022/09

दिनांक 04-02-2022

विषयः मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में परामर्शदाताओं /यंग प्रोफेशनलों के नियोजन की प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

दिनांक 26.10.2021 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार परामर्शदाताओं /यंग प्रोफेशनलों के नियोजन हेतु मंडी बोर्ड द्वारा परामर्शदाता नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन दिया गया है | तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों की सेवाएं लेने संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही हैं जो इन दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने तक अथवा नए दिशानिर्देशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे| ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.प्रयोजन और आवेदन का दायरा

1.1 मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) किसान कल्याण, कृषि विपणन एवं कृषि संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने एवं इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने तथा विकास प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निदेशात्मक और कार्यनीतिक सुझाव प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञता एवं सूचना प्रोद्योगिकी का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त कार्यों को वर्तमान परिपेक्ष्य में सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए अपेक्षित कौशल रखने वाले यंग प्रोफेशनलों/परामर्शदाताओं का होना अनिवार्य है। इन यंग प्रोफेशनल्स/परामर्शदाताओं से उन क्षेत्रों में योगदान दिए जाने की प्रत्याशा की जाएगी जिन क्षेत्रों में मंडी बोर्ड के ढांचे के अंतर्गत आंतरिक विशेषज्ञता सुलभ नहीं है। ये उच्च स्तर के व्यावसायिक होने चाहिए और मंडी बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार अर्थशास्त्र, वित्त, अभियांत्रिकी, अधोसंरचना, मानव संसाधन, सूचना प्राद्योगिकी, कृषि विपणन, कृषि निर्यात आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी सुविज्ञता प्रदान करने में समर्थ हों।

1.2 परामर्शदाताओं /यंग प्रोफेशनलों के सेवा अनुबंध की सामान्य शर्तों को उनके व्यक्तिगत अनुबंधों में शामिल किया जाएगा।

2. परिभाषाएं: वर्तमान अनुदेशो के प्रयोजनार्थ निम्नांकित परिभाषाएं अनुप्रयुक्त होंगी:

2.1 "व्यक्तिगत परामर्शदाता अथवा सेवा प्रदाता" का अर्थ है - यंग प्रोफेशनल अथवा परामर्शदाता जो उनके अनुभव पर निर्भर करेगा। अगर पूरी टीम का होना जरूरी न माना गया हो, तो वयक्तिगत परामर्शदाताओं अथवा सेवा प्रदाताओं की भर्ती भी उन्हीं कार्यों के लिए की जाती है जो परामर्श/सेवा प्रदाता प्रतिष्ठान करते हैं। ये स्वतंत्र विशेषज्ञ हो सकते हैं जो किसी प्रतिष्ठान विशेष से स्थायी रूप

से संबद्ध न हों अथवा वे किसी व्यक्तिगत आधार पर भर्ती किए गए किसी प्रतिष्ठान के अधिकारी/कर्मचारी हो सकते हैं। वे किसी एजेंसी, संस्था, विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी भी हो सकते हैं। सामान्यतः उनकी भर्ती परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, किसी अत्यधिक तकनीकी / प्रशासनिक / विधिक / वित्तीय विषय पर विशेषज्ञ राय लेने, विशिष्ट अध्ययनों, अनुपालन पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण अथवा कार्यान्वयन अनुवीक्षण के प्रावधान के लिए की जाती है |

2.2 "परामर्शी सेवाओं" में ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो सलाहकारी अथवा पेशेवर प्रकृति की हैं और जो परामर्शदाताओं द्वारा दी जाती हैं। इन सेवाओं में विशेषज्ञ अथवा कार्यनीतिक सलाह देना शामिल होता है, जैसे - प्रबंधन परामर्शदाता, नीति परामर्शदाता, मानव संसाधन परामर्शदाता, विपणन परामर्शदाता, निर्यात परामर्शदाता, वित्तीय परामर्शदाता अथवा संचार परामर्शदता। उदाहरण के लिए, सलाहकारी और परियोजना संबंधी परामर्शदात्री सेवाओं में व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन, अभियांत्रिकी सेवाएं, वास्तुशास्त्रीय सेवाएं, वित्त लेखा और कराधान सेवाएं, प्रशिक्षण और विकास।

3. अनुबंध के नियम और शर्तें

3.1 विधिक स्थितिः मंडी बोर्ड में व्यक्तिगत परामर्शदाता की विधिक हैसियत एक स्वतंत्र परामर्शदाता की होगी और उसे किसी भी प्रयोजन से मंडी बोर्ड का "कर्मचारी सदस्य" या "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अनुबंध के अंतर्गत अथवा इससे संबंधित किसी बात से मंडी बोर्ड और व्यक्तिगत परमर्शदाता के बीच "नियोक्ता और कर्मचारी" का अथवा "प्रिंसिपल और एजेंट" का संबंध स्थापित नहीं हेागा।

3.2 आचरण के मानदंड

3.2.1 सामान्यतः, व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध में उल्लिखित अपने दायित्वों के निष्पादन के मामले में मंडी बोर्ड से बाहर के किसी प्राधिकारी से न तो कोई अनुदेश मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के निष्पादन अथवा अन्यथा के मामले में अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को लेकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे मंडी बोर्ड के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यक्गित परामर्शदाता मंडी बोर्ड के हितों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करेंगे। व्यक्गित परामर्शदाता से यह अपेक्षित है कि वह उनके अनुबंध के निष्पादन से अथवा पंचाट (अवार्ड) से मंडी बोर्ड के किसी प्रतिनिधि, कर्मचारी अथवा अन्य एजेंट को न तो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिले और न ही किसी लाभ की पेशकश की जाए। व्यक्तिगत परामर्शदाता ऐसे सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे जिनका अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है | अनुबंध के निष्पादन के क्रम में, व्यक्तिगत परामर्शदाता आचरण के मानदंडों का अनुपालन करेंगे। इस अनुपालन में विफल रहना व्यक्तिगत परामर्शदाता की सेवा समाप्ति का आधार होगा।

3.2.2 यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेधः व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के निष्पादन के क्रम में, कार्यस्थल पर महिलाओं का "यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013" का अनुपालन करेगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि इसमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना अनुबंध की अनिवार्य शर्त का उल्लंघन करना होगा और किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध

किसी अन्य विधिक अधिकारों अथवा उपचारों के अतिरिक्त, इससे अनुबंध समाप्त किए जाने के आधार तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें निहित किसी भी अन्य बात से, आचरण के पूर्वगामी मानदंडों की अवहेलना को समुचित विधिक कार्रवाई हेतु संगत प्राधिकारियों को संदर्भित करने का मंडी बोर्ड का अधिकार सीमित नहीं होगा।

3.3 स्वामित्व अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य मालिकाना हक:

3.3.1 अनुबंध में उल्लिखित किसी भी दायित्क के निष्पादन हेतु व्यक्तिगत परामर्शदाता को मंडी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी उपकरण अथवा आपूर्ति का स्वामित्व मंडी बोर्ड का ही होगा और अनुबंध समाप्त हो जाने पर अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के लिए आवश्यक न रह जाने पर ऐसा हर उपकरण मंडी बोर्ड को लौटाना होगा। मंडी बोर्ड को लौटाते समय ऐस उपकरण की स्थिति वही होनी चाहिए जो व्यक्तिगत परामर्शदाता के प्राप्त करते समय थी अर्थात् इसमें टूट-फूट न हुई हो और उपकरण को हुए ऐसे किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत परामर्शदाता का ही होगा जो सामान्य टूट-फूट की सीमा से अधिक हो।

3.3.2 मंडी बोर्ड अनुबंध के तहत व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा विकसित उत्पादों, प्रक्रियाओं, अन्वेषणों, विचारों, तौर-तरीकोंअथवा दस्तावेजों और अन्य सामग्री के संबंध में समस्त बौद्धिक संपदा और अन्य स्वामित्व अधिकारों का पात्र होगा, जो केवल पेटेंट, कॉपीराइट अथवा ट्रेडमार्क तक सीमित नहीं है और जिसका अनुबंध के निष्पादन के परिणामस्वरूप अथवा के क्रम में उत्पादित अथवा तैयार की गई अथवा संग्रहीत से सीधा संबंध है और व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से भी सहमति व्यक्त करता है कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्री को मंडी बोर्ड के उपयोग के लिए निर्मित ही माना जाएगा | पूर्वगामी प्रावधानों के अध्यधीन, व्यतक्गित परामर्शदाता द्वारा संकलित अथवा प्राप्त समस्त नक्शे, रेखाचित्र (ड्राईंग), तस्वीरें, पच्चीकारी, योजनाएं, प्रतिवेदन, अनुमान, सिफारिशें, दस्तावेज और सभी अन्य डेटा मंडी बोर्ड की संपत्ति होंगे और इन्हें उपयुक्त समय तथा स्थान पर मंडी बोर्ड को उपयोग अथवा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, गोपनीय माना जाएगा और अनुबंध के तहत कार्य पूरा हो जाने पर केवल मंडी बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

3.4 दस्तावेज और सूचना की गोपनीय प्रकृतिः व्यक्तिगत परामर्शदाता भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अध्यधीन होगा। मंडी बोर्ड की पूर्व संस्वीकृति के बिना व्यक्तिगत परामर्शदाता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका में अपने या किसी छद्म तरीके से ऐसी कोई पुस्तक या आलेख संकलन प्रकाशित नहीं करेगा अथवा रेडियो प्रसारण में हिस्सा नहीं लेगा अथवा किसी आलेख अथवा पत्र में योगदान नहीं करेगा, जिस पुस्तक, आलेख, प्रसारण अथवा पत्र का संबंध उसे मंडी बोर्ड द्वारा सौंपे गए विषय से हो।

3.5 मंडी बोर्ड का नाम, प्रतीक अथवा सरकारी मुहर का उपयोगः व्यक्तिगत परामर्शदाता अपने कार्यों के सिलसिले में अथवा अन्यथा बिना मंडी बोर्ड की लिखित अनुमति के किसी वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजन से यह विज्ञापित नहीं करेगा अथवा अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका मंडी बोर्ड के साथ कोई अनुबंध है, न ही व्यक्तिगत परामर्शदाता किसी भी रूप में मंडी बोर्ड के नाम, प्रतीक चिन्ह अथवा सरकारी मुहर का इस्तेमाल करेगा अथवा मंडी बोर्ड के नाम से किसी शब्द-संक्षेप का उपयोग करेगा।

3.6 बीमा: व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपयुक्त बीमा को बनाए रखने अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के निजी व्यय पर जीवन, स्वास्थ्य और ऐसा अन्य प्रकार का बीमा लेने की व्यवस्था करेगा जो अनुबंध अवधि के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाता को उपयुक्त प्रतीत हो।

3.7 यात्रा, चिकित्सा अनुमति और सेवा के दौरान मृत्यु, चोट अथवा रुग्णता:

3.7.1 मंडी बोर्ड व्यक्तिगत परामर्शदाता से मंडी बोर्ड के किसी कार्यालय में अथवा परिसर में कार्य प्रारंभ करने देने से पूर्व, किसी मान्यता प्राप्त फिजिशियन से अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र लाने को कह सकता है।

3.7.2 अनुबंध की शर्तों के तहत मंडी बोर्ड के किसी कार्यालय में अथवा मंडी बोर्ड अथवा भारत/राज्य सरकार के परिसर में सेवा निष्पादन, मंडी बोर्ड के व्यय पर यात्रा के दौरान व्यक्तिगत परामर्शदाता की मृत्यु, चोट अथवा रुग्णता के मामले में, व्यक्तिगत परामर्शदाता अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के आश्रित, जैसा भी उचित हो, किसी प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

3.8 अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें:

3.8.1 यहां प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना का अर्थ किसी ऐसी अनदेखी अथवा अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना अथवा युद्ध की स्थिति (घोषित अथवा अघोषित), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह अथवा इसी प्रकृति अथवा तीव्रता वाली किन्हीं स्थितियों से है, बशर्ते ये स्थितियां नियंत्रण के इतर कारणों से और बिना व्यक्तिगत परामर्शदाता की चूक या ढिलाई के उत्पन्न हुई हों।

3.8.2 व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि अनुबंध के अंतर्गत किन्हीं दायित्वों के निर्वहन के मामले में अथवा मंडी बोर्ड से वर्तमान में संबंधित अथवा भविष्य में संबंधित होने वाले किन्हीं क्षेत्रों में, अथवा किसी शांतिरक्षण, मानवीय अथवा सदृश अभियानों से पृथक होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों अथवा ऐसे क्षेत्रों में हो रहे नागरिक उपद्रव की घटनाओं से संबंधित ऐसे दायित्वों के निर्वहन में विलंब अथवा विफलता को अनुबंध के अंतर्गत स्वयं ही अप्रत्याशित घटना नहीं मान लिया जाएगा।

3.9 सेवा समाप्ति: मंडी बोर्ड अनुबंध को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द कर सकेगा। हालांकि, मंडी बोर्ड व्यक्तिगत परामर्शदाता को एक महीने का नोटिस देगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता भी मंडी बोर्ड को एक माह का नोटिस देकर अपनी सेवा-समाप्ति का अनुरोध कर सकता है।

3.10 लेखा परीक्षा और जांच: मंडी बोर्ड द्वारा भुगतान किये गये प्रत्येक एनवायस की भुगतान के बाद लेखा-परीक्षकों द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय और अनुबंध की समाप्ति अथवा पूर्व-समाप्ति के दो (2) वर्ष तक के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी- चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, मंडी बोर्ड का हो अथवा मंडी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत और अर्ह एजेंटों द्वारा हो। मंडी बोर्ड ऐसी लेखापरीक्षा में दर्शाई गई ऐसी कोई भी राशि व्यक्तिगत परामर्शदाता से वापस लेने का पात्र होगा जिसका मंडी बोर्ड ने व्यक्तिगत परामर्शदाता को भुगतान किया है- सिवाए उसके जो अनुबंध के नियमों और शर्तों के के अनुरूप हो। व्यक्तिगत परामर्शदाता सहमत है कि मंडी बोर्ड समय-समय पर अनुबंध अथवा उसके पंचाट, अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित दायित्वों और अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित दायित्वों और अनुबंध के निष्पादन से सामान्यतः संबंधित व्यक्तिगत परामर्शदाता के अभियानों के किसी भी पहलू

की जांच कर सकता है। ऐसी जांच करने और ऐसी जांच के अनुपालन का व्यक्तिगत परामर्शदाता का दायित्व अनुबंध की समाप्ति अथवा पूर्व-समाप्ति से विलोपित नहीं हो जाता। व्यक्तिगत परामर्शदाता ऐसी किसी भी जांच, भुगतान-पश्चात् लेखापरीक्षाओं अथवा जांचों में पूरा और सही समय पर सहयोग देगा। इस सहयोग में, व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त समय पर और उपयुक्त शर्तों पर व्यक्तिगत अथवा अन्य संगत दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा व्यक्तिगत परामर्शदाता के निजी और संगत दस्तावेज तक पहुंच के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाता के परिसरों में उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त शर्तों पर प्रवेश की अनुमति देना शामिल है, हालांकि यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

3.11 विवाद निपटान: मंडी बोर्ड और व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध अथवा उसके उल्लंघन, समापन अथवा अवैधता से उत्पन्न होने वाले विवाद अथवा दावे के सौहार्दपूर्ण निपटान के सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

3.12 विवाचन: अनुबंध अथवा उसके उल्लंघन, समापन अथवा अवैधता से उत्पन्न होने वाले विवाद अथवा दावा सौहार्दपूर्ण न निपटाए जा सकने की स्थिति में, उक्त के अनुसार, दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक को विवाचन हेतु संदर्भित किया जा सकता है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विवाद निपटारे के लिए किसी विवाचक की नियुक्ति कर सकते हैं।

3.13 हित-विरोध: व्यक्तिगत परामर्शदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह मंडी बोर्ड के अधिकारियों पर अनुप्रयोज्य समस्त नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। उनसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईष्टतम ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और नेकनीयती की अपेक्षा की जाएगी। अगर व्यक्तिगत परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जातीं अथवा सरकार के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं, तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं बीच में ही समाप्त की जा सकती हैं।

4. विचारार्थ विषय

4.1 यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शाखा के प्रमुखों का होगा कि वे व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विस्तृत विचारार्थ विषयों को तैयार करें और आगे की कार्रवाई हेतु प्रबंध संचालक को परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रस्तुत करें।

4.2 विचारार्थ-विषय अनिवार्य हैं और ये प्रत्येक संविदा का एक भाग होंगे। विचारार्थ-विषयों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य और किए जाने वाले कार्य शामिल होंगे।

5. सामान्य निबंधन और शर्तें

5.1 कार्यकाल: प्रत्येक व्यक्तिगत परामर्शदाता को शाखाओं की आवश्यकतानुसार विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा परंतु यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, प्रथम और उत्तरवर्ती वर्षों के बाद उनका अपने-अपने पदों पर बना रहना, स्पष्ट रूप से परिभाषित मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों के आधार पर संतोषजनक वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा पर निर्भर करेगा। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक के अनुमोदन से अपवादी परिस्थितियों में कार्यकाल को तीन वर्ष से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

5.2 यथा-निर्धारित अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यावसायिकों को व्यक्तिगत परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया जाएगा। उन्हें आउटपुट के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य सौंपे जाने चाहिए।

5.3 व्यक्तिगत परामर्शदाता को केवल पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तिगत परामर्शदाता को मंडी बोर्ड में कंसल्टेंसी की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य लेने की स्वीकृति नहीं होगी।

5.4 व्यक्तिगत परामर्शदाता की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है और मंडी बोर्ड द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

5.5 व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की संख्या: मंडी बोर्ड द्वारा नियोजित किए जाने वाले व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की कुल संख्या किसी विशिष्ट समय पर वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

6. शैक्षिक अर्हताएं, आयु, अनुभव और पारिश्रमिक:

6.1 शैक्षिक अर्हता: सामान्यत: शाखाओं की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जायेगी । अतिरिक्त अर्हताओं, अनुसंधान अनुभव, प्रकाशित शोधपत्रों तथा संगत विषय में अर्हता उपरांत अनुभव वाले व्यक्तिओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 अनुभव, आयु और पारिश्रमिक-

पद का नाम	अनुभव वर्षों में	अधिकतम आयु (सीमा)	पारिश्रमिक (रू.में)
यंग प्रोफेशनल	1-3	40 वर्ष	40,000 - 60,000
परामर्शदाता	3 वर्ष से अधिक	55 वर्ष	60,000 - 100,000

6.3 परामर्श-सेवा मूल्यांकन समिति यंग प्रोफेशनल/परामर्शदाता के पदों के लिए समेकित पारिश्रमिक निश्चित करेगी। समेकित पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और किसी भी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3 (क) एक वर्ष से अधिक के अनुबंध के मामले में, एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक की समीक्षा की जायेगी। पारिश्रमिक में वृद्धि निम्नलिखित मानदण्डों के अनुरूप प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के अनुमोदन से गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर की जा सकेगी।

कार्य निष्पादन	पारिश्रमिक में वृद्धि
केवल नियमित/नियत कार्य निष्पादित	शून्य
परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल, जिन्होंने अपने डोमेन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और नियत विशिष्ट कार्य पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित वांछनीय आउटपुट प्रदान करने में विशेष गुणवत्ता दर्शाई हो।	प्रबंध संचालक के अनुमोदन से पारिश्रमिक के 5% तक
असाधारण मामले में, जब परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल ने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है	प्रबंध संचालक के अनुमोदन से पारिश्रमिक के 10% तक

6.3 (ख) किसी भी मामले में प्रतिवर्ष पारिश्रमिक की वृद्धि 10% से अधिक नहीं होगी ।

6.3 (ग) ऊपर उल्लिखित होने के बावजूद, किसी भी मामले में किसी यंग प्रोफेशनल का पारिश्रमिक 60,000 रुपये से अधिक एवं किसी परामर्शदाता का पारिश्रमिक 100,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

6.4 विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट पदों के लिए काम पर रखने संबंधी मानदंडों को और अधिक परिभाषित किया जा सकता है।

7. यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता

व्यक्तिगत परामर्शदाता को, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, घरेलू दौरों पर जाने की आवश्यकता हो सकती है और उनके लिए निम्नलिखित टीए/डीए की अनुमति होगी।

पद	यात्रा का साधन	होटल, टैक्सी तथा भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति
यंग प्रोफेशनल	विमान द्वारा इकोनमी श्रेणी में या रेल द्वारा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में	होटल में रहने के एवज में प्रतिदिन 2250/- रू तक; शहर में यात्रा के लिए एसी टैक्सी प्रभार की मद में 50 कि.मी. तक और भोजन बिल की मद में प्रतिदिन अधिकतम 900/- रू तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।
परामर्शदाता	विमान द्वारा इकोनमी श्रेणी में या रेल द्वारा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में	होटल में रहने के एवज में प्रतिदिन 4500/- रू तक; शहर में यात्रा के लिए एसी टैक्सी प्रभार की मद में 50 कि.मी. तक और भोजन बिल की मद में प्रतिदिन अधिकतम 1000/- रू तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।

मंडी बोर्ड द्वारा अपने स्तर से घरेलू दौरों हेतु यात्रा, होटल, वाहन एवं भोजन की व्यवस्था किये जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के टीए/डीए की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के चयन हेतु मंडी बोर्ड की आवश्यकताओं के बारे में समय-समय पर इसकी वेबसाइट और कम-से-कम एक समाचार-पत्र (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) में विज्ञापित किया जाएगा।

8.2 प्राप्त आवेदनों को परामर्श-सेवा मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा जिसका संघटन निम्नानुसार होगा:-

अपर संचालक प्रोजेक्ट सेल	समन्वयक
अपर संचालक वित	सदस्य
अपर संचालक प्रांगण	सदस्य
मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री	सदस्य
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

8.3 परामर्श-सेवा मूल्यांकन समिति आवेदकों की सूची निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा के साथ तैयार कर प्रबंध संचालक को प्रस्तुत करेगी | प्रबंध संचालक द्वारा उपलब्ध सूची में से योग्य आवेदक का चयन कर परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के रूप में नियुक्ति की जायेगी |

8.4 भुगतान:- संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत परामर्शदाता की उपस्थिति के मासिक सत्यापन के आधार पर एक माह पूरा होने पर एक सप्ताह के भीतर मंडी बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान व्यक्तिगत परामर्शदाता के बैंक खाते में किया जाएगा।

9.छुट्टी:- व्यक्तिगत परामर्शदाता यथानुपात आधर पर एक वर्ष में 8 दिन की छुट्टी के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, एक माह तक अनुपस्थिति को बिना पारिश्रमिक माना जा सकता है। तथापि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आदि के आपवादिक मामलों में प्रबंध संचालक द्वारा शिथिलता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के आदेश सं. एस-36012/03/2015- एसएस-1 के तहत जारी मातृत्व लाभ (संशोधित) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी।

10. स्त्रोत पर कर कटौती:- वेतन जारी करने से पूर्व स्त्रोत पर आयकर और अन्य कर लागू नियमों के अनुसार काटे जाएंगे जिसके लिए मंडी बोर्ड टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा | वस्तु और सेवाकर जो भी लागू हो व्यक्तिगत परामर्शदाता को स्वीकार्य होगा। मंडी बोर्ड की व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा इस संबिदा के तहत किए गए भुगतानों पर देयकरों या अन्य अंशदान के लिए किसी देयता की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

11. पुलिस सत्यापन:- व्यक्तिगत परामर्शदाता का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। पुलिस सत्यापन के नकारात्मक प्राप्त होने की स्थिति में, परामर्शदाता के साथ संविदा बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

12. प्रशिक्षण:- कार्यग्रहण के बाद, व्यक्तिगत परामर्शदाता को न्यूनतम तीन दिन का शुरूआती प्रशिक्षण (भुगतान योग्य नहीं) प्रदान किया जाएगा।

13. शिथिलन:- जहां प्रबंध संचालक का यह विचार है कि ऐसा किया जाना अनिवार्य और उचित है, यह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए इन नियमों के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकता है।

14. परामर्शदाता/ यंग प्रोफेशनल जिन्हें दिशानिर्देशों के तहत नियोजित किया गया है, वे उनकी मौजूदा संविदा की समाप्ति तक के दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों से शासित होंगे। कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विस्तार इन नियमों के अध्यधीन होगा।

15. मंडी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से यह दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3/2/22

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

परिशिष्ट-1

परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल नियोजन हेतु विचारार्थ विषय प्रपत्र

विषय : मंडी बोर्ड में परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल को नियोजन पर लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शाखा प्रभारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1. शाखा का नामः

2. नियोजन का प्रयोजनः

3. नियोजन अवधिः

4. परियोजना संबंधी कार्य और उससे संबंधित अन्य कार्यः

5. वांछित अर्हता तथा योग्यताः

    क. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

    ख. वांछित शैक्षणिक योग्यता :

    ग. न्यूनतम कार्य अनुभवः

    घ. वांछित कार्य अनुभवः

    ड़. विशेष कार्य अनुभव :

    च. अनुसंधान अनुभवः

    छ. प्रकाशित शोधपत्र :

    ज. अन्य संगत विषय :

परिशिष्ट-2

परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल नियोजन हेतु संविदा प्रारूप

नस्ती क्रमांक : दिनांक:

यह संविदा ....को (तारीख डालें) मंडी बोर्ड तथा श्री/सुश्री/श्रीमती.................. पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..................... (इसके पश्चात् "व्यक्तिगत परामर्शदाता"के रूप में संदर्भित) के बीच की गई है।

जिनका पता है................................

जबकि मंडी बोर्ड व्यक्तिगत परामर्शदाता की सेवाओं को इसके पश्चात प्रस्तुत किए गए निबंधन और शर्तों पर नियोजित करने का इच्छुक है, तथा

जबकि व्यक्तिगत परामर्शदाता उक्त निबंधन और शर्तों पर मंडी बोर्ड के साथ संविदा स्वीकार करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है,

अब, अतः, दोनों पक्ष एतद द्वारा इस प्रकार सहमत हैः-

1. सेवाओं की प्रकृति

व्यक्तिगत परामर्शदाता विचारार्थ विषय प्रपत्र में बताई यथा दर्शाई गई सेवाओं का निष्पादन करेगा जो इसके साथ संलग्न है एवं संविदा का अभिन्न अंग है |

2. अवधि

यह वैयक्तिक संविदा................ (तारीख डालें) को शुरू होगी और ऊपर उल्लिखित विचारार्थ विषय में बताई गई सेवाओं के संतोषप्रद पूर्ण होने पर समाप्त होगी, परंतु......................... (तारीख डालें) के बाद नहीं, जब तक कि इस संविदा की शर्तों के अनुसरण में इन्हें पहले ही समाप्त न कर दिया जाए। वह...................(परामर्शदाता अथवा यंग प्रोफेशनल डालें) के रूप में पदनामित होंगे। यह संविदा "मंडी बोर्ड में परामर्शदाता/यंग प्रोफेशलनल के नियोजन हेतु प्रक्रिया और दिशा-निर्देश" दिनांक ....में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी जो इसके साथ संलग्न है एवं संविदा का अभिन्न अंग है |

3. भुगतान

सभी लागू करों सहित ....रू. प्रति माह का समेकित वेतन व्यक्तिगत पसमर्शदाता को संतोषप्रद सेवाओं के अधीन भुगतान किया जाएगा। यदि मंडी बोर्ड द्वारा ड्यूटी स्टेशन के बाहर और पूर्व लिखित समझौते पर अप्रत्याशित यात्रा का अनुरोध किया जाए, तो यह यात्रा मंडी बोर्ड के व्यय पर होगी और व्यक्तिगत परामर्शदाता नियोजन हेतु प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के तहत टीए/डीए प्राप्त करेगा। मंडी बोर्ड द्वारा अपने स्तर से घरेलू दौरों हेतु यात्रा, होटल, वाहन एवं भोजन की व्यवस्था किये जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार के टीए/डीए की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी |

4. व्यक्तिगत परामर्शदाता के अधिकार और दायित्व

व्यक्तिगत परामर्शदाता के अधिकार और दायित्व संविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों सहित निबंधन और शर्तों तक ही सख्ती से सीमित होंगे। तदनुसार, व्यक्तिगत परामर्शदाता संविदा में वर्णित प्रावधानों के अलावा, किसी लाभ, भुगतान, सहायता, मुआवजें और अधिकार के लिए अधिकृत नहीं होगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता, इस संविदा के निष्पादन के दौरान उसके स्वयं के कृत्य या चूक से उत्पन्न तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और किसी भी स्थिति में मंडी बोर्ड तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ऐसे दावे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, दोनों पक्षों ने इस संविदा को कार्यान्वित किया है।

नीचे हस्ताक्षर कर, मैं, व्यक्तिगत परामर्शदाता अभिस्वीकृति और सहमति देता हूं कि मैंने परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के मंडी बोर्ड में नियोजन हेतु विचारार्थ विषय प्रपत्र एवं दिनांक................. द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों, जो इस संविदा का अभिन्न अंग है, की शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हूं।

व्यक्तिगत परामर्शदाता ने अच्छे स्वास्थ्य का विवरण और पुलिस सत्यापन का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है।

प्राधिकारी अधिकारी, मंडी बोर्ड	व्यक्तिगत परामर्शदाता
नाम:	नाम:
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
दिनांक:	दिनांक:
स्थान:	स्थान: